संख्या-20/2024//001-1333-23-12-2023-23-12002-001-1-2022

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ: दिनांक 12 मार्च, 2024**

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में सी0आर0आई0एफ0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 04 नये कार्यों पर अतिरिक्त धनराशि की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-3010/सामान्य-सेतु-31/2023-24, दिनांक 29.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के अनुक्रम में संलग्न सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सी0आर0आई0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत नये कार्यो में से 04 कार्यो पर द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू0 4263.18 लाख (रूपये बयालिस करोड़ तिरसठ लाख अट्ठारह हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की मॉग का प्रस्ताव/अनुरोध किया गया है।

2- मुख्य अभियन्ता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के उपर्युक्त पत्र दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सी0आर0आई0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत नये कार्यो में से 04 कार्यो पर पूर्व में निर्गत/आवंटित धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के क्रम में 35 प्रतिशत की सीमा तक वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप अन्तर/विचलन की धनराशि अतिरिक्त रूप में निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कुल रू0 4263.18 लाख (रूपये बयालिस करोड़ तिरसठ लाख अट्ठारह हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0	कुल लागत	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 के अनुसार पूर्व निर्गत आवंटन	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 के अनुसार निर्गत होने वाली धनराशि	कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 के अनुसार अतिरिक्त मांग की धनराशि / प्रस्तावित धनराशि (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	जनपद वाराणसी में जन्सा - रामेश्वर मार्ग पर उत्तर रेलवे (लोहता - चौखण्डी) के रेल सम्पार सं0-13 स्पेशल पर 02 लेन उपरिगामी सेतु।	45/2023/001-708-23-12-2023-1940-2022, दिनांक 10.07.2023	7840.64	1960.16	2744.22	**784.06**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	चन्दौली	जनपद चन्दौली में पूर्व मध्य रेलवे के चन्दौली - सकलडीहा मार्ग रेलवे स्टेशन के मध्य सम्पार सं0-102बी/3ई कुछमन- सकलडीहा पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु।	45/2023/001-708-23-12-2023-1940-2022, दिनांक 10.07.2023	13397.09	3349.27	4688.98	**1339.71**
3	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में गोरखपुर - आनन्दनगर रेल खण्ड के मानीराम पीपीगंज रेलवे स्टेशनों के मध्य किमी0 21/7-6 पर सम्पार सं0-14 सी पर रेल उपगरिगामी सेतु।	46/2023/001-707-23-12-2023-337-2023, दिनांक 10.07.2023	15142.26	3785.56	5299.79	**1514.23**
4	आजमगढ़	जनपद आजमगढ़ में बेलइसा सम्पार सं0-29ए पर निर्मित रेल उपरिगामी सेतु के समानान्तर प्रस्तावित रेल उपरिगामी सेतु।	48/2023/001-709-23-12-2023-1942-2022, दिनांक 20.07.2023	6251.80	1562.95	2188.13	**625.18**
						योग	**4263.18**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/ दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) प्रशासकीय विभाग व्यय समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) प्रायोजना में भूमि अध्यासि का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(14) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग का होगा।

(15) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(16) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

(17) भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के शासनादेश सं0-सीई-आर0ओ0/एलकेओ/सीआरएफ/एम0ओ0यू0/2022-23/1128(क0नं0-212036) दिनांक 11-10-2022 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 होगी।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(20) विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(21) विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रू0 42,63,18,000.00 (रूपये बयालिस करोड़ तिरसठ लाख अट्ठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010518 केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ) पोषित आर.ओ.बी./आर.यू.बी. निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-875-X-2023-24 दिनांक 07.12.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-20/2024//001-1333(1)-23-12-2023-23-12002-001-1-2022तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन-1, ससंद मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-सीई-आर0ओ0/एलकेओ/सीआरआईएफ/एम0ओ0यू0/2022-23/1128(क0नं0-212036), दिनांक 11-10-2022 के संदर्भ में।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त वाराणसी, गोरखपुर ।
7- जिलाधिकारी, वाराणसी, गोरखपुर, चन्दौली एवं आजमगढ़।
8- मुख्य अभियन्ता(मु0-1/सेतु), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- केन्द्रीय सहायता अनुभाग,वित्त विभाग।
10- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 लखनऊ।
13- लोक निर्माण अनु0-10, उ0प्र0 लखनऊ।
14- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, नवीन भवन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in